न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 136/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/150)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मेवा सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर। 2. डिप्टी सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर। 3. गुरमीत कौर पत्नी सरजीत सिह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर।		1. मनदीप सिंह पुत्र रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर 2. जसप्रीत कौर पत्नी रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर 3. अमरजीत सिंह पुत्र भोला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर 4. गुरसेवक सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर 5. मन्दर सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर 6. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 29.05.2023

उपस्थितः1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण
2.श्री मनीष कुमार जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

––निर्णय–– दिनांकः 28.03.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी संख्या 1 मेवा सिह के नाम चक 46 एफ की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 62/55 में 2.051 हैक्टर, खाता संख्या 133/81 में 0.506 हैक्टर व खाता संख्या 151/19 में 0.591 हैक्टर कुल 3.148 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है। वादी संख्या 2 डिप्टी सिंह के नाम चक 46 एफ की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 62/55 में 1.504 हैक्टर, खाता संख्या 44/70 में 0.455 हैक्टर, खाता संख्या 81/70 में 1.065 हैक्टर, खाता संख्या 131/70 मे 0.506 हैक्टर, खाता संख्या 135/170 में 0.080 हैक्टर गैर मुमकिन खाला कुल रकबा 3.610 हैक्टर नहरी कृषि भूमि दर्ज है। वादी संख्या 3 गुरमीत कौर के नाम चक 46 एफ की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 62/55 में 0.317 हैक्टर नहरी कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। शेष कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम खाता संख्या 62/55 में संयुक्त रूप से दर्ज है। उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम एकल खाता में अवश्य दर्ज है, लेकिन पक्षकारान ने अपनी कृषि भूमि का पारस्परिक सहमति से पारिवारिक सम्पति विभाजन कर रखा है, जिसके अनुसार वादीगण के नाम दर्ज कुल 5.474 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मय खाला वादीगण के संयुक्त कब्जा व काश्त में है, जिसका वादीगण अन्य सहखातेदारान से विधिवत जोत विभाजन करवाकर, वादीगण के नाम से संयुक्त काश्त के अनुसार 5.474 हैक्टर भूमि का अलग से खाता व लगान कायम करवाना चाहते है व खाता संख्या 151/19 के मुरब्बा न0 39 के किला नं0 14/2 के 0.128 हैक्टर व किला नं0 15/1 के 0.127 हैक्टर भूमि वादी संख्या 1 मेवा सिंह के नाम से अलग से एकल खाता में दर्ज करवाना चाहता है। पक्षकारान पारस्परिक सम्पति विभाजन के अनुसार अपने हिस्सा में आये किलाजात [illegible] भूमि पक्षकारान के नाम से अलग-अलग खाता में वर्णित है और राजस्व अभिलेख [illegible] उनका कब्जा व काश्त एक दूसरे के मुरब्बाजात व खाताजात में है [illegible] भूमि पर वादीगण का कब्जा बंटवारानामा मुताबिक नही होने के कारण पक्षकारान को [illegible] समय भारी कठिनाईयो का [illegible] करना पड़ता है। पक्षकारान को अपने हिस्सा की कृषि भूमि हिस्सा ठेका पर काश्त करवाने, [illegible] बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण पक्षकारान अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज जोत विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को किलावाईज अलग से अपने नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:20:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

घोषित करवाने चाहते है तथा पक्षकारान के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से पक्षकारान अपने नाम कायम करवाना चाहते है। वादीगण ने आज से 5 रोज पूर्व प्रतिवादीगण से कहा कि हम पारिवारिक सम्पति विभाजन व लिखित बंटवारानामा के अनुसार कब्जा शुदा भूमि का अंकन अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि राजस्व अभिलेख में कब्जानुसार दर्ज करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण द्वारा हर समय पारिवारिक परेशानियों व व्यस्तता के कारण साफ इंकार कर रही है। यही वाद कारण है। प्रतिवादीगण की इस असहमति के कारण, माननीय न्यायालय में वाद पत्र संस्थित करने के अतिरिक्त अन्य विकल्प हम वादीगण के पास शेष नहीं रहा। इस कारण वाद पत्र पेश किया जा रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 46 एफ के खाता संख्या 44/70, 62/55, 81/70, 133/81, 135/70, 151/19 में पक्षकारान के नाम से दर्ज कृषि भूमि का वादीगण के कब्जा व काश्त के अनुसार जोत विभाजन करवाकर, वादीगण को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर, उनके नाम से अलग से खाता व लगान कायम किया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। सामिल मिसल किया गया। काउन्टर क्लेम में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 46 एफ मौडा के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 21 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 24 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 16 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17/2 की 0.088 हैक्टेयर, किला नम्बर 25/2 की 0.020 हैक्टेयर कुल 1.601 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे। वादी अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बाद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 2 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 46 एफ, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 44/70 के मुरब्बा नम्बर 17 की कुल 0.455 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 62/55 के मुरब्बा नम्बर 28, 30, 31 की कुल 9.209 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 81/70 के मुरब्बा नम्बर 17, 36 की कुल 1.065 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 133/81 के मुरब्बा नम्बर 17 की कुल 0.506 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 135/70 के मुरब्बा नम्बर 85/13 की कुल 0.080 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 151/19 के मुरब्बा नम्बर 37, 39 की कुल 0.591 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 मेवा सिंह के हिस्सा में 3.148 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 2 डिप्टी सिंह के हिस्सा में 3.104 हैक्टेयर भूमि, वादी सं... ...त कौर के हिस्सा में 0.317 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 मनदी... ...के हिस्सा में 0.76... हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 2 जसप्रीत कौर के हिस्सा में 0.855 हैक्टे... ...राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य ...द्वारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया ...वे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:20:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मेवा सिंह बनाम मनदीप सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,53,91 आरटीए,
प्रकरण संख्या 136/2023

का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 46 एफ, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 62/55 के मुरब्बा नम्बर 28, 30, 31 की कुल 9.209 हैक्टेयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	मेवा सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर। (2.051 हैक्टेयर)	46 एफ	30	12/3	0.026 हैक्टेयर	नहरी	0.23
				13/3	0.049 हैक्टेयर	नहरी	0.44
				14	0.049 हैक्टेयर	नहरी	0.44
				15	0.045 हैक्टेयर	नहरी	0.40
				16	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				17,18,19	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
				20/1	0.179 हैक्टेयर	नहरी	1.59
			31	13/2	0.123 हैक्टेयर	नहरी	1.09
				14,15	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
				16/1	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.22
				21/1	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
2	डिप्टी सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर। (1.504 हैक्टेयर)	46 एफ	30	20/2	0.074 हैक्टेयर	नहरी	0.66
				21 ता 24	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
				25	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.02
			31	21/2	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.69
3	गुरमीत कौर पत्नी सरजीत सिह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर(0.317 हैक्टेयर)	46 एफ	31	12/2	0.187 हैक्टेयर	नहरी	1.66
				13/1	0.130 हैक्टेयर	नहरी	1.16
4	मनदीप सिंह मान पुत्र रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर (0.704 हैक्टेयर)	46 एफ	31	11	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
				12/1	0.066 हैक्टेयर	नहरी	0.59
				19/2	0.132 हैक्टेयर	नहरी	1.17
				20	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
5	जसप्रीत कौर पत्नी रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर (0.855 हैक्टेयर)	46 एफ	31	16/2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				17,18	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
				19/1	0.121 हैक्टेयर	नहरी	1.08

Signature Not Verified

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में ... दर्ज किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग ... पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुदा ... बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:20:30 IST
Reason: SelfAttested

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 23.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

मेवा सिंह आदि बनाम मनदीप सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **53, 88, 91 आरटीए** मुकदमा नम्बर **136/2023**

निर्णय दिनांक :-28.03.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 46 एफ, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 62/55 के मुरब्बा नम्बर 28, 30, 31 की कुल 9.209 हैक्टेयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	मेवा सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर। (2.051 हैक्टेयर)	46 एफ	30	12/3	0.026 हैक्टेयर	नहरी	0.23
				13/3	0.049 हैक्टेयर	नहरी	0.44
				14	0.049 हैक्टेयर	नहरी	0.44
				15	0.045 हैक्टेयर	नहरी	0.40
				16	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				17,18,19	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
				20/1	0.179 हैक्टेयर	नहरी	1.59
			31	13/2	0.123 हैक्टेयर	नहरी	1.09
				14,15	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
				16/1	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.22
				21/1	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
2	डिप्टी सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर। (1.504 हैक्टेयर)	46 एफ	30	20/2	0.074 हैक्टेयर	नहरी	0.66
				21 ता 24	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
				25	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.02
			31	21/2	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.69
3	गुरमीत कौर पत्नी सरजीत सिह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर(0.317 हैक्टेयर)	46 एफ	31	12/2	0.187 हैक्टेयर	नहरी	1.66
				13/1	0.130 हैक्टेयर	नहरी	1.16
4	मनदीप सिंह मान पुत्र रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर (0.704 हैक्टेयर)	46 एफ	31	11	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
				12/1	0.066 हैक्टेयर	नहरी	0.59
				19/2	0.132 हैक्टेयर	नहरी	1.17
				20	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
5	जसप्रीत कौर पत्नी रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर (0.855 हैक्टेयर)	46 एफ	31	16/2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				[illegible]	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
				19/[illegible]	0.121 हैक्टेयर	नहरी	1.08

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:20:30 IST
Reason: SelfAttested

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्त[illegible] राजस्व रिकॉर्ड में [illegible]दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 16.04.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय[illegible] मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

श्री करणपुर

राजस्व श्री करणपुर श्री गंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	720	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	724	00	योग	04	00

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2024/141 दिनांकः 16.04.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:20:30 IST
Reason: SelfAttested